प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सिवरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

186 बूंदी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री हरिमोहन शर्मा (नाम)

मकान नंबर - 224 गायत्री नगर बूंदी (पता)

जो **इंडियन नेशनल काँग्रेस** (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं ।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं। स्थान- बूंदी

दिनांक- 03.12.2023

(साहन लाल) रिटर्निग्रेशॉफीस्**सहन्दरे** (186)

(उपखण्ड अधिकारी एवं अफ्रब्यूप्डी मजिस्ट्रेट, बून्दी) उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड भजिस्ट्रेट, बून्दी

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 186-BUNDI Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri HARIMOHAN SHARMA (Name)

H.NO. 224 GAYATRI NAGAR BUNDI (Address)

sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place- BUNDI

Dated-03.12.2023

SOHAN LAL

Returning Officer bundi 186
Sub Divisional Magistrate, bundi

Sub Distt, Bundi (Raj.)

Divisional Magistrate, Bundi